

2023/20

श्रीमान जी,  
निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मोहिन्दर सिंह धुग्गा पुत्र श्री नारायण सिंह, आयु 80 वर्ष, निवासी-चक 3 एच छोटी, सैकण्ड, तहसील व जिला-श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, और दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बन्द वसीयत सील्ड लिफाफा सैफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान कृष्ण धवन पुत्र श्री कश्मीर चंद और मनदीप सिंह पुत्र श्री सनतेज सिंह की पहचान अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह बराड द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बन्द वसीयत को सैफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय